एनएचपीसी लिमिटेड

संबंधित पक्ष लेनदेन की महत्ता और संबंधित पक्ष लेनदेन आचरण संबंधी नीति

(संस्करण 5.0)

नोट: नीति के अंग्रेजी या हिन्दी संस्करण मे कोई विसंगति होने पर, नीति के अंग्रेजी संस्करण का अर्थ मान्य होगा।

1. प्रयोज्यता

यह नीति एनएचपीसी और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू होगी।

2. उद्देश्य

यह नीति भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर) के विनियम 23 के अनुसार तैयार की गई है और इसका उद्देश्य कंपनी और उससे संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन का समुचित अनुमोदन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। यह नीति अन्य लागू नीतियों एवं पद्धतियों/ शक्तियों का प्रत्यायोजन/ मैनुअलों आदि की पूरक होगी।

3. परिभाषाएं

3.1 "अधिनयम" का अर्थ है कंपनी अधिनियम 2013 और इसके तहत बनाए गए नियम और यथा संशोधित या समय- समय पर संशोधित नियम।

3.2 "आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन" को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के स्पष्टीकरण (ख) में परिभाषित किया जाएगा।

3.3. "सहयोगी कंपनी" को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) में परिभाषित किया जाएगा।

3.4. "लेखा परीक्षा समिति" का अर्थ है बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति।

3.5. "निदेशक मंडल" या **"बोर्ड"** का अर्थ है एनएचपीसी लिमिटेड का निदेशक मंडल।

3.6. "कंपनी" का अर्थ है एनएचपीसी लिमिटेड।

3.7. "सरकारी कंपनी" को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत परिभाषित किया जाएगा।

3.8. "स्वतंत्र निदेशक" को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और एलओडीआर के विनियमन 16(1)(ख) के तहत परिभाषित किया जाएगा।

नोट: नीति के अंग्रेजी या हिन्दी संस्करण मे कोई विसंगति होने पर, नीति के अंग्रेजी संस्करण का अर्थ मान्य होगा।

3.9. "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के तहत परिभाषित किया जाएगा।

3.10. "महत्वपूर्ण संशोधन (नों)" का अर्थ है संबंधित पक्ष लेनदेन के पहले से स्वीकृत कुल प्रतिफल (कर संरचना में परिवर्तन के कारण मूल्य/ प्रतिफल में वृद्धि को छोड़कर) की 10% से अधिक मूल्य में वृद्धि/कमी हो।

3.11. "महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन" का अर्थ है एलओडीआर के विनियमन 23 के तहत निर्दिष्ट संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में निर्दिष्ट लेनदेन, जिसे समय-समय पर संशोधित कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 15(3) के साथ पढ़ा जाए।

3.12 "सामान्य व्यापार प्रक्रिया" के अंतर्गत व्यापार से संबंधित अनिवार्य, सामान्य और प्रासंगिक गतिविधियां समाहित हैं, परन्तु वह केवल इन्हीं गतिविधियों तक सीमित नहीं है। सामान्य व्यापार प्रक्रिया का निर्धारण करते समय निम्नांकित कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है :

(i) जो व्यापार विशेष के लिए सामान्य या अन्यथा अपेक्षित हो (अर्थात् विशेषताएं, प्रणाली, प्रक्रियाएं, विज्ञापन, कर्मचारी प्रशिक्षण आदि)।

(ii) जो बार-बार और नियमित रूप से होती हो

(iii) व्यापार के लिए आय का स्रोत हो

(iv) जिसमें संसाधनों का महत्वपूर्ण आवंटन/निवेश शामिल हो।

(v) जो ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा या उत्पाद में शामिल हो।

3.13. "नीति" का अर्थ है 'संबंधित पक्ष लेनदेन की महत्ता और संबंधित पक्ष लेनदेन संबंधी नीति।

3.14 "विनियम" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर) यथा संशोधित या समय समय पर इसमें संशोधन।

3.15. "संबंधित पक्ष" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) और एलओडीआर के विनियमन 2(1)(जेडबी) के तहत परिभाषित संबंधित पक्ष है।

3.16. "संबंधित पक्ष लेनदेन" (आरपीटी) का अर्थ एलओडीआर के विनियमन 2(1)(जेडसी) के तहत परिभाषित लेनदेन है और इसमें अनुबंध में एकल लेनदेन या लेनदेन का समूह शामिल है।

नोट: नीति के अंग्रेजी या हिन्दी संस्करण मे कोई विसंगति होने पर, नीति के अंग्रेजी संस्करण का अर्थ मान्य होगा।

3.17. “सम्बन्धी” का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) तथा एलओडीआर के विनियमन 2(1)(जेडडी) के अंतर्गत परिभाषित किया जाएगा।

3.18. “सहायक कंपनी” का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) तथा एलओडीआर के विनियमन 2(1)(जेडएम) के अंतर्गत परिभाषित सहायक कंपनी है।

इस नीति के अंतर्गत विशेष रूप से परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का अर्थ/परिभाषा कंपनी अधिनियम, 2013 तथा एलओडीआर से ली जाएगी।

4. संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया

4.1 लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन

1. निम्नलिखित पर एनएचपीसी की लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी :

   क. सभी संबंधित पक्ष लेन-देन और उसके बाद उसमें होने वाले महत्वपूर्ण संशोधन;

   ख. सभी संबंधित पक्ष लेन-देन, जिनमें कंपनी की सहायक कंपनी पक्षकार है, लेकिन कंपनी पक्षकार नहीं है, यदि ऐसे लेन-देन का मूल्य, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से किया गया हो या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन-देन के साथ लिया गया हो, कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक है अथवा सहायक कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक एकल कारोबार के 10% से अधिक है।

2. किसी भी प्रस्तावित आरपीटी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष निम्नलिखित जानकारी रखी जाएगी:

   क. प्रस्तावित लेनदेन का प्रकार, महत्व्पूर्ण शर्तें और विवरण;

   ख. संबंधित पक्ष का नाम और कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसके प्रयोजन या हित (वित्तीय या अन्यथा) की प्रकृति शामिल है;

   ग. प्रस्तावित लेनदेन की अवधि (विशेष अवधि निर्दिष्ट की जाएगी);

   घ. प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य;

   ड. तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है (और सहायक कंपनी को शामिल करने वाले आरपीटी के लिए,

स्टैंडअलोन आधार पर सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर गणना की गई प्रतिशतता अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी);

च. यदि लेन-देन कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित है:

i. प्रस्तावित लेन-देन के संबंध में निधियों के स्रोत का विवरण;

ii. जहां ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋण लिया जाता है:

- ऋण की प्रकृति;
- निधियों की लागत; और
- अवधि;

iii. लागू शर्तें, जिनमें अनुबंध, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची शामिल हैं, चाहे वे सुरक्षित हों या असुरक्षित; यदि सुरक्षित हैं, तो सुरक्षा की प्रकृति; और

iv. वह उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधि का उपयोग किया जाएगा।

छ. आरपीटी कंपनी के हित में क्यों हैं, इस संबंध में स्पष्टीकरण;

ज. मूल्यांकन या अन्य बाहरी पार्टी रिपोर्ट की एक प्रति, यदि ऐसी किसी रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है;

झ. प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है;

ञ. कोई अन्य जानकारी जो लेखा परीक्षा समिति के लिए प्रासंगिक हो सकती है।

3. दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक) या आवर्ती आरपीटी की स्थिति को लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के लिए वार्षिक आधार पर रखा जाएगा।

4. इस नीति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन प्रसारण के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके भी प्राप्त किया जा सकता है।

5. आरपीटी को लेखापरीक्षा समिति के केवल उन सदस्यों द्वारा अनुमोदित/प्रमाणित किया जाएगा, जो स्वतंत्र निदेशक हैं।

6. लेखापरीक्षा समिति द्वारा सर्वव्यापी अनुमोदन:

नोट: नीति के अंग्रेजी या हिन्दी संस्करण मे कोई विसंगति होने पर, नीति के अंग्रेजी संस्करण का अर्थ मान्य होगा।

I. लेखापरीक्षा समिति कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए जाने वाले संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान कर सकती है। सर्वव्यापी अनुमोदन के लिए मानदंड निर्दिष्ट करते समय, लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी:

क. लेनदेन की पुनरावृत्ति (अतीत में या भविष्य में);
ख. सर्वव्यापी अनुमोदन की आवश्यकता का औचित्य; और
ग. पुनरावृत्ति प्रकृति के लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन की आवश्यकता और ऐसा अनुमोदन कंपनी के हित में किस प्रकार है।

II. लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखे गए सर्वव्यापी अनुमोदन के प्रस्ताव में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी:
क. संबंधित पक्ष का(के) नाम;
ख. लेन-देन की प्रकृति;
ग. लेन-देन की अवधि;
घ. लेन-देन की अधिकतम राशि जिसका लेन-देन किया जा सकता है;
इ. सांकेतिक आधार मूल्य/वर्तमान अनुबंधित मूल्य और मूल्य में परिवर्तन के लिए सूत्र, यदि कोई हो; और
च. प्रस्तावित लेन-देन पर निर्णय लेने के लिए लेखापरीक्षा समिति के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी।

III. जहां संबंधित पक्ष के लेन-देन का पूर्व-ज्ञान न हो और न ही पुख्ता विवरण उपलब्ध हो, लेखापरीक्षा समिति ऐसे लेन-देन के लिए सर्वव्यापक अनुमोदन प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि उनका मूल्य प्रति लेन-देन 1 करोड़ (एक करोड़ रुपए) से अधिक न हो।

IV. सर्वव्यापक अनुमोदन एक वित्तीय वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं होगा और ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नए अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

V. कंपनी के व्यवसाय को बेचने या निपटाने संबंधी लेन-देन के लिए सर्वव्यापक अनुमोदन नहीं किया जाएगा।

VI. लेखापरीक्षा समिति द्वारा दिए गए प्रत्येक व्यापक अनुमोदन के अनुसरण में कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पक्ष लेनदेन का ब्यौरा लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के लिए तिमाही आधार पर रखा जाएगा।

नोट: नीति के अंग्रेजी या हिन्दी संस्करण मे कोई विसंगति होने पर, नीति के अंग्रेजी संस्करण का अर्थ मान्य होगा।

7. निम्नलिखित आरपीटी को एनएचपीसी की लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी:

क. किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ आरपीटी में प्रवेश किया जाना चाहिए, बशर्ते कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत संबंधित पक्ष न हो;
ख. कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जिनके लेखें कंपनी के साथ समेकित हैं, के बीच किया जाने वाला आरपीटी (नीचे 4.2.1 में उल्लिखित लेनदेन के अलावा);
ग. कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए लेन-देन, जिनके लेखें कंपनी के साथ समेकित हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे गए हैं; और
घ. आरपीटी जिसमें कंपनी की सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पक्ष है लेकिन कंपनी एक पक्ष नहीं है, यदि एलओडीआर के विनियमन 23 और विनियमन 15 के उप-विनियमन (2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होते हैं।
ङ. सूचीबद्ध सहायक कंपनी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों का आरपीटी। ऐसे मामले में, सूचीबद्ध सहायक कंपनी की लेखा परीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति पर्याप्त होगी।
च. ऐसे लेन-देन जो एक ओर कंपनी और दूसरी ओर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या इनके संयोजन के बीच सांविधिक बकाया, सांविधिक शुल्क या सांविधिक प्रभारों के भुगतान की प्रकृति के हों।
छ. एक ओर कंपनी और दूसरी ओर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या इनके किसी संयोजन के बीच किए गए लेन-देन।"

4.2. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन

1. निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव द्वारा दी गई पूर्व सहमति के अलावा, कंपनी किसी संबंधित पक्ष के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं करेगी। अनुबंध या व्यवस्था की प्रकृति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-
   क. किसी भी सामान या सामग्री का क्रय, विक्रय या आपूर्ति;
   ख. किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या अन्यथा निपटाना या क्रय;
   ग. किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना;
   घ. किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना;
   ङ. माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति का क्रय या विक्रय के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति;
   च. ऐसे संबंधित पक्ष की कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी पद या लाभ के स्थान पर नियुक्ति; तथा
   छ. कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके व्युत्पन्न की सदस्यता का हामीदारी करना।

"लाभ का कार्यालय या स्थान" से तात्पर्य किसी ऐसे कार्यालय या स्थान से है-

(i) जहां ऐसा कार्यालय या स्थान किसी निदेशक द्वारा धारण किया जाता है, यदि उसे धारण करने वाला निदेशक कंपनी से वेतन, शुल्क, कमीशन, अनुलाभ, कोई किराया-मुक्त आवास या अन्यथा के रूप में निदेशक के रूप में अपने हकदार पारिश्रमिक के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त करता है;

(ii) जहां ऐसा कार्यालय या स्थान निदेशक के अलावा किसी व्यक्ति या किसी फर्म, निजी कंपनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा धारण किया जाता है, यदि उसे धारण करने वाला व्यक्ति, फर्म, निजी कंपनी या निगमित निकाय कंपनी से पारिश्रमिक, वेतन, शुल्क, कमीशन, अनुलाभ, कोई किराया-मुक्त आवास या अन्यथा के रूप में कुछ भी प्राप्त करता है।

2. कंपनी द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय के तहत किए जाने वाले किसी भी लेन-देन के लिए बोर्ड की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

4.3 शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन

1. सभी महत्वपूर्ण आरपीटी और उसके बाद के महत्वपूर्ण संशोधनों को कंपनी के शेयरधारकों के प्रस्ताव (विशेष / साधारण, जैसा कि अधिनियम या विनियमों के तहत समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है) के माध्यम से पूर्व अनुमोदन के साथ दर्ज किया जाएगा।

2. संबंधित पक्षों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देने के लिए मतदान नहीं करेंगी, भले ही वह संस्था उस विशेष लेनदेन में पक्ष हो या नहीं।

3. निम्नलिखित मामलों में महत्वपूर्ण आरपीटी और उसके बाद के महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी:

   क. कंपनी द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय के अनुक्रम में किया जाने वाला कोई भी लेन-देन जो कि आर्मस लेंथ पर किया गया हो।
   ख. किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ आरपीटी में प्रवेश किया जाना चाहिए, बशर्ते कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत संबंधित पक्ष न हो;
   ग. कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जिसके लेखें कंपनी के साथ समेकित हैं, के बीच आरपीटी पर हस्ताक्षर किया जाएगा;
   घ. कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए लेन-देन, जिनके लेखें कंपनी के साथ समेकित हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे गए हैं; और
   ङ. आरपीटी जिसमें कंपनी की सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पक्ष है लेकिन कंपनी एक पक्ष नहीं है, यदि एलओडीआर के विनियमन 23 और विनियमन 15 के उप-विनियमन (2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होते हैं।

नोट: नीति के अंग्रेजी या हिन्दी संस्करण मे कोई विसंगति होने पर, नीति के अंग्रेजी संस्करण का अर्थ मान्य होगा।

च. ऐसे लेन-देन जो एक ओर कंपनी और दूसरी ओर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या इनके संयोजन के बीच सांविधिक बकाया, सांविधिक शुल्क या सांविधिक प्रभारों के भुगतान की प्रकृति के हों।

छ. एक ओर कंपनी और दूसरी ओर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या इनके किसी संयोजन के बीच किए गए लेन-देन।

4.4. अनुमोदन तंत्र का सार

<table>
<tr><td>सभी संबंधित पक्ष लेन-देन और उसके बाद होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण संशोधन</td><td>लेखा परीक्षा समिति</td></tr>
<tr><td>उपरोक्त 4.2.1 में वर्णित आरपीटी जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं या आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं हैं या दोनों (मैटेरियल आरपीटी नहीं)</td><td>1. लेखापरीक्षा समिति द्वारा बोर्ड को अनुमोदन और सिफारिश
2. बोर्ड द्वारा अनुमोदन</td></tr>
<tr><td>उपरोक्त 4.2.1 में वर्णित आरपीटी जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं या आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं हैं या दोनों (मैटीरियल आरपीटी)</td><td rowspan="2">1. लेखापरीक्षा समिति द्वारा बोर्ड को अनुमोदन एवं सिफारिश।
2. बोर्ड द्वारा शेयरधारकों को अनुमोदन और सिफारिश।
3. शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन।</td></tr>
<tr><td>उपरोक्त 4.3.1 पर मैटीरियल आरपीटी और बाद में सामग्री संशोधन</td></tr>
</table>

5. उत्तरदायित्व

क. प्रत्येक निदेशक बोर्ड की पहली बैठक में, जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है, तथा उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी पहले से किए गए प्रकटीकरण में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन के बाद आयोजित पहली बोर्ड बैठक में, किसी कंपनी या कंपनियों या निगमित निकायों, फर्मों या व्यक्तियों के अन्य संघ में अपनी चिंता या हित का प्रकटीकरण करेगा, जिसमें शेयरधारिता भी शामिल होगी।

ख. कंपनी का प्रत्येक निदेशक जो किसी भी तरह से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अनुबंध या व्यवस्था या प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित या हितबद्ध है, जो की गई है या की जाने वाली है-

नोट: नीति के अंग्रेजी या हिन्दी संस्करण मे कोई विसंगति होने पर, नीति के अंग्रेजी संस्करण का अर्थ मान्य होगा।

i. किसी ऐसे निगमित निकाय के साथ जिसमें ऐसा निदेशक या ऐसा निदेशक किसी अन्य निदेशक के साथ मिलकर उस निगमित निकाय में दो प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता रखता है, या उस निगमित निकाय का प्रवर्तक, प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है; या

ii. किसी फर्म या अन्य संस्था के साथ, जिसमें निदेशक, भागीदार, मालिक या सदस्य है, जैसा भी मामला हो, वह बोर्ड की उस बैठक में अपनी चिंता या हित की प्रकृति का प्रकटीकरण करेगा जिसमें अनुबंध या व्यवस्था पर चर्चा की जाती है और वह ऐसी बैठक में भाग नहीं लेगा।

बशर्ते कि जहां कोई निदेशक, जो ऐसी संविदा या व्यवस्था करने के समय इस प्रकार संबद्ध या हितबद्ध नहीं है, वहां यदि वह संविदा या व्यवस्था किए जाने के पश्चात संबद्ध या हितबद्ध हो जाता है, तो वह अपनी संबद्ध या हितबद्धता को उस समय तुरन्त प्रकट करेगा जब वह संबद्ध या हितबद्ध हो जाता है या इस प्रकार संबद्ध या हितबद्ध होने के पश्चात् आयोजित बोर्ड की प्रथम बैठक में प्रकट करेगा।

ग. संबंधित कार्यात्मक निदेशक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

(i) इस नीति के अनुसार संबंधित पक्ष लेनदेन (सर्वव्यापी अनुमोदन और/या अनुसमर्थन और/या महत्वपूर्ण संशोधन सहित) के अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक मंडल के समक्ष एजेंडा रखना।

(ii) लेखापरीक्षा समिति की समीक्षा के लिए निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराना

(क) लेखापरीक्षा समिति द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा समिति को दिए गए प्रत्येक व्यापक अनुमोदन के अनुसरण में कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पक्ष लेनदेन का ब्यौरा।

(ख) लेखापरीक्षा समिति द्वारा वार्षिक आधार पर समीक्षा के लिए दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक) या आवर्ती आरपीटी की स्थिति।

(घ) यदि अपेक्षित न हो तो कंपनी सचिव शेयरधारकों के समक्ष अनुमोदन के लिए एजेंडा रखेंगे।

6. संबंधित पक्ष लेनदेन का अनुसमर्थन

क. यदि संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश करने के लिए लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना संभव नहीं है, तो संबंधित पक्ष लेनदेन को, यदि अपेक्षित हो, संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश करने के 3 (तीन) माह के भीतर लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारकों के समक्ष अनुसमर्थन के लिए रखा जाएगा, जिसमें पूर्व अनुमोदन न लेने के कारणों का उल्लेख किया जाएगा।

ख. यदि संबंधित पक्ष लेनदेन को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो ऐसा अनुबंध या व्यवस्था लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड / शेयरधारकों (जैसा भी मामला हो) के विकल्प पर शून्यकरणीय होगी और यदि अनुबंध या व्यवस्था किसी निदेशक से संबंधित पक्ष के साथ है, या किसी अन्य निदेशक

द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित निदेशक कंपनी को उसके द्वारा की गई किसी भी हानि के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे।

ग. किसी भी मामले में जहां लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारक किसी संबंधित पक्ष लेनदेन को अनुमोदित नहीं करने का निर्णय लेते हैं, जो बिना पूर्व अनुमोदन के शुरू किया गया है, वे अतिरिक्त कार्रवाई का निर्देश दे सकते हैं, जिसमें लेनदेन को तत्काल बंद करना, या अनुमोदन के लिए इसे स्वीकार्य बनाने के लिए लेनदेन में संशोधन करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

7. अपवाद

संबंधित पक्ष लेनदेन की किसी भी समीक्षा के संबंध में, लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारकों को कंपनी के सर्वोत्तम हित में इस नीति की किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता को संशोधित करने या छूट करने का अधिकार है।

इस नीति के प्रावधानों और/या कंपनी अधिनियम, 2013 और/या एलओडीआर के बीच किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में, अधिक कठोर प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. प्रकटीकरण

क. संबंधित पक्षों के साथ किया गया प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुरूप बोर्ड/शेयरधारकों के अनुमोदन से निष्पक्ष आधार पर नहीं है, को शेयरधारकों को बोर्ड की रिपोर्ट में संदर्भित किया जाएगा तथा साथ ही ऐसे अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने का औचित्य भी बताया जाएगा।

ख. सभी महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेन-देनों का विवरण तिमाही आधार पर प्रकट किया जाएगा, साथ ही कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों ,जहां शेयर सूचीबद्ध हैं, को प्रस्तुत की जाएगी,

ग. कंपनी अपनी वेबसाइट पर इस नीति का प्रकटीकरण करेगी और वार्षिक रिपोर्ट में इसका वेब लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

घ. सभी संबंधित पक्षों का नाम, संबंधों की प्रकृति और सभी संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण लागू भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरण में प्रकट किया जाएगा।

ङ सभी संबंधित पक्षों का नाम, संबंधों की प्रकृति और सभी संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण लागू भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरण में प्रकट किया जाएगा।

च. कंपनी एक या एक से अधिक रजिस्टर रखेगी जिसमें किसी भी संबद्ध पक्ष के साथ सभी अनुबंधों या व्यवस्थाओं का अलग-अलग ब्यौरा दिया जाएगा, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है।

नोट: नीति के अंग्रेजी या हिन्दी संस्करण मे कोई विसंगति होने पर, नीति के अंग्रेजी संस्करण का अर्थ मान्य होगा।

9. नीति में आसंशोधन/संशोधन/समीक्षा

इस नीति में यदि कोई आसंशोधन/संशोधन होगा तो वह कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से किया जाएगा। तथापि, नीति को प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा के लिए रखा जाएगा।

नोट: नीति के अंग्रेजी या हिन्दी संस्करण मे कोई विसंगति होने पर, नीति के अंग्रेजी संस्करण का अर्थ मान्य होगा।

<u>संस्करण नियंत्रण तालिका</u>

प्रभावी तारीख	संस्करण	संशोधन
01.10.2014	1.0	यह नीति मूलतः निदेशक मंडल की 382वीं बैठक में अनुमोदन से स्वीकार की गई थी।
30.05.2017	2.0	निदेशक मंडल द्वारा उनकी 405वीं बैठक में संशोधित किया गया।
22.03.2019	3.0	बोर्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से संशोधित।
01.04.2022	4.0	निदेशक मंडल द्वारा उनकी 454वीं बैठक में संशोधित।
09.01.2025	5.0	बोर्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से संशोधित।

नोट: नीति के अंग्रेजी या हिन्दी संस्करण मे कोई विसंगति होने पर, नीति के अंग्रेजी संस्करण का अर्थ मान्य होगा।